प्रेषक,

अभिनव यादव–I
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिजनौर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

<u>विषय–</u> **<u>कार्य वितरण के संबंध में।</u>**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कुछ न्यायिक अधिकारीगण की प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारीगण के बीच कार्य समान रूप से एवं प्राचीनतम पत्रावलियों के समानुपातिक वितरण करने हेतु तथा दाण्डिक वादों की कार्यवाही उचित ढंग से संचालन हेतु कार्य व जनहित में धारा 14/15 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यदि महोदय की सहमति हो तो पूर्व पारित कार्य वितरण आदेशों में संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जा सकती है। यदि महोदय सहमत हो तो उक्त व्यवस्था महोदय के अनुमोदन तिथि से प्रभावी होगी, जो निम्नलिखित हैः–

<u>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर</u>

थाना **कोतवाली शहर**, थाना **स्योहारा** एवं थाना **धामपुर** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित वादों, परिवाद मामलो (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से किसी अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रदान किया गया है), सम्पूर्ण जनपद से सम्बन्धित गम्भीर प्रकृति के धारा 302,304,304बी0 भा0द0सं0 के पुलिस चालानी एवं परिवाद मामलों का

क्षेत्राधिकार एवं सम्पूर्ण जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से सम्बन्धित चालानी वाद(टैक्स सम्बन्धी मामलो को छोड़कर), सम्पूर्ण जनपद के आबकारी, कारखाना अधिनियम चालान, राजपत्रित अधिकारियों एवं पुलिस सेवको के विरूद्ध संस्थित मामलों का क्षेत्राधिकार, जिला परिषद से सम्बन्धित परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार एवं उन विशेष मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिनका क्षेत्राधिकार कार्य वितरण आदेश में किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, पूर्ववत इस न्यायालय में रहेगा।

उप मुख्यालय चांदपुर एवं नजीबाबाद से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय वादो का कमिटल का क्षेत्राधिकार पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा परिपत्र संख्या–**31/Main-B(Admin A-3)/Allahabad Dated 24-12-2021** के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जनपद में नियुक्त रहने तक विधायकों/सांसदों के विरूद्ध लंबित वादो की सुनवाई एवं निस्तारण का विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। अतः विधायको/सांसदो के विरूद्ध लंबित मजिस्ट्रेट परीक्षणीय वादों की सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार पूर्ववत इस न्यायालय को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.1, बिजनौर</u>

थाना **नहटौर** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व सभी परिवाद मामलो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायालय में पूर्व से लंबित फौजदारी वादों की अन्य समस्त पत्रावलियों का क्षेत्राधिकार न्यायालय को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

उप मुख्यालय नगीना से सम्बन्धित सत्र परीक्षणीय वादो के कमिटल का क्षेत्राधिकार पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

मुख्यालय बिजनौर से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार आर्थिक अपराधों का क्षेत्राधिकार पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.–2, बिजनौर</u>

थाना **हल्दौर** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी/परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/कोर्ट नं0–6/जे.एम. बिजनौर से रिकाल कर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–2, बिजनौर को प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/कोर्ट नं0–6/जे.एम. बिजनौर में लंबित फौजदारी की अन्य समस्त पत्रावलियां वापस लेते हुए विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–2, बिजनौर में स्थानांतरित की जाती है।

सहकारी समितियों के लम्बित वादो की विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार शासन के परिपत्र संख्या–1002 /सात–न्याय–2–06–216/77 दिनांक 22 सितम्बर, 2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Misc Bench No. 12541/2014 शीतला प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 18.12.2014 के अनुक्रम में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.–2, बिजनौर को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं.–3, बिजनौर</u>

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर के रिक्त होने के कारण थाना **शेरकोट** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी/परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–1/जे.एम. बिजनौर से रिकाल कर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–3, बिजनौर को प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त रिक्त न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/ कोर्ट नं0–1/जे.एम. बिजनौर में लंबित फौजदारी की अन्य समस्त पत्रावलियां वापस लेते हुए विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–3, बिजनौर में स्थानांतरित की जाती है।

<u>अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–5,/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर</u>

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–3/ए.सी.जे.एम. बिजनौर के रिक्त होने के कारण थाना **हीमपुर दीपा** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व सभी परिवाद मामलो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) रिक्त न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–3/ए.सी.जे.एम. बिजनौर से रिकाल करते हुए अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/कोर्ट नं0–5/जे.एम. बिजनौर को प्रदान किया जाता है।

चूंकि न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–3/ ए. सी.जे.एम. बिजनौर रिक्त हो गयी है। अतः उक्त न्यायालय में लंबित फौजदारी की अन्य समस्त पत्रावलियां भी वापस लेकर विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–5/जे.एम. बिजनौर में स्थानांतरित की जाती है।

माननीय जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश संख्या–536 दिनांकित 04.10.2023 के अनुसार पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित वादों की विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं0–7,/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर

थाना **मण्डावर** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व सभी परिवाद मामलो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी. कोर्ट नं0–2,/जे.एम., बिजनौर

थाना **महिला थाना** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व सभी परिवाद मामलो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

सिविल जज जूनियर डिवीजन /न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद

थाना **नजीबाबाद**, थाना **मण्डावली** व थाना **जी0आर0पी0 नजीबाबाद** से

सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

उपमुख्यालय नजीबाबाद से सम्बन्धित समस्त थानों के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार आर्थिक अपराधों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

<u>अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नं.1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद</u>

थाना **किरतपुर** व **नांगल** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

<u>सिविल जज जूनियर डिवीजन /न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर</u>

थाना **चांदपुर, नूरपुर, पदमावती महिला थाना** एवं **शिवाला कलां** से सम्बन्धित सभी पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

<u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना</u>

थाना **अफजलगढ, जी.आर.पी. नगीना** एवं **नगीना** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी से सम्बन्धित मामले एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/

सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है), पूर्ववत इस न्यायालय को प्राप्त रहेगा।

थाना धामपुर से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) इस न्यायालय को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

उपमुख्यालय नगीना से सम्बन्धित समस्त थानों के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार आर्थिक अपराधों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

सिविल जज जूनियर डिवीजन /न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना

न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट सं0–2, नगीना बिजनौर के रिक्त होने के कारण थाना **कोतवाली देहात** व **नगीना देहात़** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/ सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट सं0–2, नगीना बिजनौर से रिकॉल करते हुए न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना बिजनौर को प्रदान किया जाता है।

अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नं0–1, नगीना

थाना **रेहड** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/ सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है), पूर्ववत प्राप्त रहेगा।

थाना **बढापुर** से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/ सभी परिवाद मामलो का क्षेत्राधिकार (उन मामलो को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में निहित है) न्यायालय सिविल जज जू0डि0/जे.एम., बिजनौर से रिकॉल करते हुए न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नं0–1, नगीना, बिजनौर को प्रदान किया जाता है।

यदि कोई पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या किसी अन्य विशेष आदेश से किसी न्यायालय में स्थानान्तरित की गई हो तो उक्त आदेश पूर्ववत प्रभावी रहेगा एवं उक्त पर यह व्यवस्था व आदेश प्रभावी नहीं होगा।

संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में पत्रावलियां क्षेत्राधिकारिता प्रदान किये गये न्यायालय में विधिनुसार सुनवाई व निस्तारण के लिए प्राप्त करायी जाये।

कार्य वितरण व्यवस्था महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ व यदि महोदय सहमत हो तो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

भवदीय

दिनाक–21–11–2023

(अभिनव यादव–I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश
बिजनौर